प्रेषक

निदेशक
मत्स्य विभाग
उ0प्र0, लखनऊ

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
समस्त सहायक निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
आहरण वितरण अधिकारी,मुख्यालय।

पत्रांक– /लेखा शा0/बजट/2021–22 दिनांक 27-09-2021

विषय–अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक–2405– मछली पालन–के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 का बजट आवंटन

महोदय,

शासनादेश संख्या–11/221/571/सत्रह–म0–2021–6–9(6)/2018 टी सी दिनांक 15.04..2021 द्वारा स्वीकृत वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक–2405–मछलीपालन–- के अन्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन एतद्द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :–

1. आवंटित धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर पर्चेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो , उन मामलों में स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3.शासकीय व्यय में मितव्यता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

4.डी0 डी0ओ0रिकान्सलेशन प्रत्येक माह की 6 तारीख तक निश्चित द्वारा रूप से मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाय।

5. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

6. मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाये जिससे पेट्रोल/यात्रा व्यय, बीजको का नियमित रुप से भुगतान सुनिश्चित हो सके ।

7. वेतन मदों में आवंटित धनराशि से वेतन का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय तथा वेतन एरियर के आहरण से पूर्व निदेशालय से अनुमति प्राप्त की ली जाय। यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय,लेखन सामाग्री, टेलीफोन, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल/डीजल आदि की क्रय की मदों में समय–समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा प्री–आडिट बीजकों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

8.जारी वित्तीय स्वीकृतियो के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समानरुप से की जाय

9. स्वीकृति धनराशि का आहरण/ व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–3/20210/बी–1–375/10–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2020 तथा शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

10. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405– मछली पालन – 01–निदेशन तथा प्रशासन,03–अधिष्ठान,109–विस्तार तथा प्रशिक्षण,190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, 800–अन्य व्यय, 03–अनुसंधान सामान्य, 04–प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना, 05– राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन एवं 11–प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त आवंटन का अंकन बजट कन्ट्रोल रजिस्टर के पृष्ठ सं0 66,67,68,69,7071 एवं 72 पर किया गया है।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीया,

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
मत्स्य निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्रांक– 715 /लेखा शा0/बजट/2021–22 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक मत्स्य के कैम्प कार्यालय हेतु।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
5. निदेशक वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. श्री अंशुमान सिंह वरिष्ठ सहायक को अपलोड करने हेतु।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
मत्स्य निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-24/09/2021

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-03 ANUSANDHAN SAMANYA ALLOTMENT 27-9-2021
अनुदान संख्या:-	17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
03 - अनुसंधान -सामान्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/ जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	10-जलकर / जल प्रभार	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1100000 4100000	850000 1150000	0 10000	0 7000	0 20000	0 0	0 4000	0 0	0 35000	0 3000	0 20000	0 0	0 0	0 150000	1950000 5499000
2	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 7000000	900000 1400000	5000 10000	2000 3000	20000 50000	5000 5000	0 500	5000 8000	0 0	0 0	24000 24000	0 0	0 0	100000 350000	4061000 8850500
3	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	0 18500000	0 3800000	0 5000	0 1000	0 190000	0 10000	0 1000	0 15000	15000 20000	15000 15000	0 100000	0 0	0 0	0 1330000	30000 23987000
4	जवाहर भवन, लखनऊ-2381-अर्थ एव सख्याधिकारी , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	0 20000000	0 3000000	0 50000	0 0	0 0	0 0	20000 20000	0 0	0 0	0 50000	0 0	260000 260000	200000 200000	0 5000000	480000 28580000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4100000 49600000	1750000 9350000	5000 75000	2000 11000	20000 260000	5000 15000	20000 25500	5000 23000	15000 55000	15000 68000	24000 144000	260000 260000	200000 200000	100000 6830000	6521000 66916500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंसठ लाख इक्कीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ उनहत्तर लाख सोलह हजार पाँच सौ

(पूजा [illegible]मन)
वित्त एवं लेखाधिकारी